झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक :– 7 वि०शा० / मु०मेदिनी०–01–05 / 2019– 25/19-20 ए.ली. राँची, दिनांक 16.08.19

प्रेषक:

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत शीर्ष 4701 में भवनों का सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मति के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन ₹ 24.04 लाख (चौबीस लाख चार हजार) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के अधीन विभिन्न भवनों की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु ₹ 24.04 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-

क्र०	कार्य का नाम	प्रमंडल का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)
1.	गुण नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर के जाँच प्रयोगशाला का मरम्मति कार्य	गुण नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर	₹ 5.93 कराये जाने वाले कार्य की विवरणी Annexure-I पर संलग्न है।
2.	कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर के आवास की मरम्मति का कार्य	जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर	₹ 18.11 कराये जाने वाले कार्य की विवरणी Annexure-II पर संलग्न है।
		कुल योग :–	₹ 24.04

i) गुण नियंत्रण प्रण्डल, मेदिनीनगर अन्तर्गत गुण नियंत्रण जाँच प्रयोगशाला का मरम्मति कार्य एवं एक अदद् समरसीबल पम्प खरीदने एवं बोरींग का कार्य।

ii) जलपथ प्रमण्डल मेदिनीनगर अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता के आवास की मरम्मति, समरसीबल पम्प, पानी टंकी, वायरिंग एवं चाहारदिवारी का कार्य ।

3. उपरोक्त कार्यों पर होनेवाला व्यय :–

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के अन्तर्गत प्रस्तावित ₹ 24.04 लाख मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–66–नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त के आलोक में कुल ₹ 24.04 लाख से भवन मरम्मति एवं पुनर्स्थापन कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है। सभी कार्य कंडिका (2) में अंकित प्रमण्डलों द्वारा कराया जायेगा। उक्त प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंता इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित मुख्य अभियंता इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. उपरोक्त सभी कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रारंभ कर वर्ष 2020–21 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

11. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

12. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

16.8.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 7 वि०शा० / मु०मेदिनी०–01–05 / 2019–25/19-20 ५० राँची, दिनांक 16.08.19

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ / योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु॰–यथोक्त।

16.8.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक :– 7 वि०शा० / मु०मेदिनी०–01–05 / 2019–25/19-20 ५० राँची, दिनांक 16.08.19

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, पलामू, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

अनु॰–यथोक्त।

16.8.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक :– 7 वि०शा० / मु०मेदिनी०–01–05 / 2019–25/19-20 प्र.स्वी. राँची, दिनांक 16.08.19

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर / अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एंव आयोजन अंचल–1 / 2 / 3 राँची एवं अवर सचिव, प्रशाखा–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु०–यथोक्त।

16.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक :– 7 वि०शा० / मु०मेदिनी०–01–05 / 2019–25/19-20 प्र.स्वी. राँची, दिनांक 16.08.19

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

16.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक :– 7 वि०शा० / मु०मेदिनी०–01–05 / 2019–25/19-20 प्र.स्वी. राँची, दिनांक 16.08.19

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेशित / कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

16.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,